न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 60/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री देबीसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत निवासी सरेरी तहसील हुरड़ा
2. श्री हिम्मतसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत निवासी सरेरी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

1.श्रीमती गुलाबी बेवा उदा चमार निवासी सरेरी
2.श्री भैरू पिता उदा चमार निवासी सरेरी त0 हुरड़ा
3.श्री रामदेव पिता उदा चमार नि0 सरेरी त0 हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
4.श्रीमती गीता देवी बेवा रतनलाल दर्जी निवासी सरेरी जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरड़ा, जिला–भीलवाडा (राज0)

—— प्रार्थीगण

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 रा0का0 अधिनियम 1955 प्रकरण अन्यत्र राजस्व न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरण बाबत।

उपस्थित :– श्री प्रकाश सारस्वत अधि0 प्रार्थी ।
श्री श्याम त्रिवेदी अधि0अप्रार्थी 1से 4

निर्णय

दिनांक :11/06/2018

प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से एक नियमित वाद विपक्षीगण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गुलाबपुरा के समक्ष लगभग दो वर्ष पहले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के तहत प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि से बेदखल कर कब्जा सिपुर्द कराने हेतु प्रस्तुत किया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अब तक वाद में कोई प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित नही की। केवल मात्र पेशीयां परिवर्तन की जाती रही है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिपक्षीगण का प्रारम्भ से ही अपरोक्ष रूप से बचाव किया जा रहा है। जिससे प्रार्थीगण को यह विश्वास हो चुका है कि अधीनस्थ न्यायालय से उन्हें न्याय मिलना संभव नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर गुलाबपुरा के समक्ष ग्राम सरेरी की आ0नं0 727/1297 रकबा 3–11 बीघा भूमि से कब्जा सिपुर्दगी बाबत प्रस्तुत वादपत्र को अन्य किसी समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरित कराने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। जवाब अनुसार आ0नं0 727/1297 को प्रार्थीगण के पिता गोवर्धनसिंह पिता मोडसिंह ने 3000/– रूपये में श्रीमती गीता बेवा रतनलाल

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

दर्जी को दिनांक 09.07.1980 को बेचान किया तथा गीता के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता उदा को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र से दिनांक 04.06.1981 को विक्रय कर कब्जा विपक्षी संख्या 1 से 3 को करवा दिया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बिकाव से आज दिनांक तक मालिक एवं खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। तथाकथित आराजी पर नया चाह खुदवा कर उसे पक्का बंधवाया। भूमि की सुरक्षा हेतु दीवार बनाई एवं चाह से पानी निकालने हेतु इंजिन और पम्प लगाया तथा फलदार पेड़ लगा भूमि को आबाद किया । तथाकथित भूमि पर अप्रार्थीगण पिछले 35 वर्षों से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों एवं बनावटी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अब तक विलम्ब जो हुआ है वह प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता के कारण हुआ है। प्रार्थीगण को कई अवसर साक्ष्य के दिए गए । दिनांक 23.11.2016 को साक्ष्य वादी में गवाह के शपथ पत्र प्रस्तुत किए जिनके प्रतिपरीक्षण में हेतु प्रकरण नियत था परन्तु स्वयं प्रार्थीगण/वादीगण एवं इनके अधिवक्ता के अनुपस्थित होने पर वादीगण/प्रार्थीगण का वाद अदम सबूत में खारिज किया जिससे असन्तुष्ट होकर यह झूंठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी) गुलाबपुरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं सम्बन्धित प्रकरण की आदेशिकाओं की प्रतियां चाही गई। उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा ने अपने पत्रांक/रेवे.कोर्ट/2018/607 दिनांक 18.05.2018 से तथ्यात्मक रिपोर्ट मय वाद संख्या1696/2015 देबीसिंह बनाम गुलाबी की आदेशिका दिनांक 22.09.2015 से 26.02.2018 की प्रमाणित फोटो प्रतियां भिजवाई है।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की लिखित बहस में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है। वकील प्रार्थीगण के द्वारा सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी) गुलाबपुरा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण वाद संख्या 1696/2015 को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकील किए जाने के सम्बन्ध में कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है। पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के द्वारा जब–जब भी न्यायिक कार्य किया उस दिन प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही की गई। आदेशिकाओं के अवलोकन से जाहिर है कि न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से अनावश्यक पेशीयां तब्दील नहीं की गई है। प्रकरण साक्ष्य वादी के परीक्षण में नियत था जिसमें वादी अधिवक्ता के द्वारा गवाह को परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं कर दो अवसर लिए अर्थात वादी के अधिवक्ता को प्रकरण में सुनवाई की तारीख की जानकारी थी इसके बावजूद दिनांक 24.01.2017 को वादी एवं स्वयं अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अदम सबूत में खारिज करते हुए प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम होने से शहादत प्रतिवादी हेतु नियत किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी/प्रार्थीगण के द्वारा आदेश 9 नियम 9 जा0दी0 एवं आदेश 18 नियम 17 जा0दी0 का प्रस्तुत किया। इसमें से प्रकरण प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा0दी0 के जवाब हेतु एवं आदेश 18 नियम 17 जा0दी0 की बहस हेतु दिनांक 02.04.2018 नियत है। प्रार्थीगण के द्वारा मात्र यह कह देना कि पीठासीन अधिकारी प्रस्तुत वादपत्र में विपक्षीगण/प्रतिवादीगण का प्रारम्भ से ही अपरोक्ष रूप से बचाव किया जा रहा है परन्तु उक्त कथन की पुष्टि में कोई शपथ–पत्र या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। जबकि सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी) गुलाबपुरा के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 1696/2015 की आदेशिकाओं से भी उक्त तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। जहां तक पेशीयां बदली जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)गुलाबपुरा राजस्व न्यायिक अधिकारी होने के साथ–साथ उपखण्ड क्षैत्र के प्रशासनिक कार्यों का भी भार होता है जिन्हें भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप समय पर सम्पादित करवाना आवश्यक होता है। प्रकरण के

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

स्थानान्तरण के लिए मात्र उपधारणा या संभव आकांक्षा पर्याप्त आधार नहीं है। अतः प्रकरण स्थानान्तरण का नहीं बनता है। अतएव–

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथन की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं जिससे यह प्रार्थना पत्र सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गुलाबपुरा के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 1696/2015 देबीसिंह बनाम गुलाबी देवी अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण हेतु अस्वीकार किया जाता है।
आदेश आज दिनांक 11/06/2018 को तैयार करा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भीलवाडा